न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 108 / 2018

जी.सी.एम.एस. :: 2018 / 00132

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये तहसीलदार रानी		1. आसान खां पुत्र भीखे खां 2. मोहब्बत खां पुत्र भीखे खां 3. सिरदार खां पुत्र नूर खां 4. बुन्दू खां पुत्र हसू खां 5. पप्पु खां पुत्र हसु खां समस्त जातिगण सिपाई, निवासीगण पादरली तुर्कान, तहसील रानी जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

–:: आदेश ::–

दिनांक : 20.5.2024

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित रहने से सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने बहस में कथन किया कि ग्राम पादरली तुर्कान पटवार मण्डल ईटदरा मेडतियान तहसील रानी के जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खसरा संख्या 79, 79 / 2 79 / 1 रकबा क्रमशः 5.11, 5.11, 5.12 बीघा किस्म गै.मु.बाला अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार के रेगुलराईजेशन के आदेशानुसार स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 44 के द्वारा रिमजू वल्द सवाई खां सिपाई सा. खातेदार दर्ज किया गया तथा इसके पश्चावर्ती नामान्तरकरण संख्या 44, 164, 165, 368, 371 के द्वारा जैर आराजी अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। वादग्रस्त आराजी गै.मु.वाला के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन / नियमन से प्रतिबंधित भूमिया है। साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन को भी निरस्त करते हुये उक्त भूमि की किस्म पुनः गै.मु.नाला दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अति. जिला कलक्टर, पाली

हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम पादरली तुर्कान पटवार मण्डल ईटदरा मेडतियान तहसील रानी के जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के अनुसार खसरा नम्बर 79/1 रकबा 5.12 बीघा किस्म गै.मु.वाला व खसरा नम्बर 79/2 रकबा 5.11 बीघा किस्म गै.मु. वाला तथा जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के अनुसार खसरा संख्या 79 रकबा क्रमशः 5.11 बीघा किस्म गै.मु.बाला अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी में दर्ज है। मिसल हकीयत सम्वत् 2019 के अनुसार खसरा संख्या 79 किस्म गै.मु.वाला दर्ज है। तहसीलदार के रेगुलराईजेशन के आदेशानुसार स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 44 के द्वारा रिमजू वल्द सवाई खां सिपाई सा. खातेदार दर्ज किया गया। रमजू खां फौत हो जाने से बख्सीसनामा नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 11.02.1985 के द्वारा भीखेखां वल्द नूरखां 1/3, हस्सूखां वल्द नूरखां 1/3, सिरदार खां वल्द नूरखां 1/3 कौम सिपाई सा. देह खातेदार स्वीकृत किया गया। भीखेखां फौत हो जाने से नामान्तरकरण संख्या 165 के द्वारा खसरा नम्बर 79 की भूमि आसानखां, मोहबत खां पि. भीखेखां 1/3, हस्सूखां वल्द नूरखां 1/3, सिरदार खां वल्द नूरखां 1/3 कौम सिपाई सा. देह खातेदार स्वीकृत किया गया। तहसीलदार पाली के आदेश क्रमांक/272 दिनांक 15.12.2009 की पालना में बंटवाडा नामान्तकरण संख्या 368 स्वीकृत किया जाकर खसरा संख्या 79 रकबा 5.11 बीघा किस्म गै.मु.वाला आसानखां, मोहब्बतखा पि. भीखेखां कौम सिपाई सा.देह खातेदार तथा खसरा संख्या 79/1 रकबा 5.12 बीघा किस्म गै.मु.वाला हस्सुखां वल्द नुरखां कौम सिपाई सा.देह खातेदार राहिन एम.जी.बी.ग्रामीण बैक शाखा बूसी तथा खसरा संख्या 79/2 रकबा 5.11 बीघा किस्म गै.मु.वाला सिरदार खां वल्द नूरखां कौम सिपाई सा. देह खातेदार दर्ज किया गया। खातेदार हस्सुखां फौत हो जाने से विरासत नामान्तरकरण संख्या 371 के द्वारा खसरा नम्बर 79/1 रकबा 5.12 बीघा किस्म गै.मु.वाला बुन्दुखां, पपुखां पि. हस्सुखां कौम सिपाई सा.देह खातेदार राहिन एम.जी.बी.ग्रामीण बैक शाखा बूसी दर्ज किया गया।

ग्राम पादरली तुर्कान पटवार मण्डल ईटदरा मेडतियान तहसील रानी के जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के अनुसार खसरा नम्बर खसरा नम्बर 79/1 रकबा 5.12 बीघा किस्म गै.मु.वाला अप्रार्थी बुन्दुखां पपुखां पि. हस्सुखां कौम सिपाही सा. देह खातेदार राहिन एम.जी.बी.ग्रामीण बैक शाखा बूसी तथा 79/2 रकबा 5.11 बीघा किस्म गै.मु.वाला अप्रार्थी सिरदार खां वल्द नूरखा कौम सिपाही सा. देह खातेदार रहन एम.जी.बी.ग्रामीण बैक शाखा बुसी के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार खसरा नम्बर 79 रकबा 5.11 बीघा किस्म गै.मू.वाला अप्रार्थी आसानखां, मोहब्बतखा पि. भीखेखा कौम सिपाई सा.देह खातेदार रहन आर.एम.जी.बी ग्रामीण बैंक बूसी दर्ज है।

जैर आराजी गै.मु.वाला के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमिया है। साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है। अतः तहसीलदार के रेगुलराईजेशन के आदेशानुसार स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 44 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 164, 165, 368, 371 विधि विरूद्ध होने से कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि जैर आराजी के सम्बन्ध

अति. जिला कलक्टर, पाली

तहसीलदार के रेगुलराईजेशन के आदेशानुसार स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 44 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 164, 165, 368, 371 को अपास्त करते हुए ग्राम पादरली तुर्कान पटवार मण्डल ईटदरा मेडतियान तहसील रानी के खसरा नम्बर 79 किस्म गै.मु. वाला को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

(डॉ राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर,पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली